

भारत के राजपत्र में भाग-3, खंड-4 में प्रकाशन हेतु

आदेश

दिनांक : 22.08.2000

मि.सं. फ-3/पीवी-11/ई.टी.टी./2000/9955-62

~~NCTE-50/104~~

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) अधिनियम, 1993 की धारा 14(3) (ए) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उत्तर क्षेत्रीय समिति जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, संगरूर-148001 (पंजाब) को 2 वर्ष का ई.टी.टी. प्रारंभ करने हेतु अकादमिक सत्र 2000-2001 से प्रतिवर्ष 100 (एक सौ) विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर मान्यता प्रदान करती है :-

1. ऐसे सभी अध्यापक जो संस्था में पूर्व में नियुक्त हैं तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों की पूर्ति नहीं करती हैं वे यह आदेश जारी होने के दो वर्ष के भीतर मानदंडों के अनुसार निर्धारित शैक्षिक योग्यता अर्जित करेंगे।
2. संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ तथा अन्य शैक्षिक इकाएँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों के अनुरूप हैं।
3. अनुमोदित पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं आलेखों को प्रवेश दिया जाएगा जो विनियमों में पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्यता रखते हों और जो संबंधित विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि से चयनित हों।
4. जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा शुल्क संबंधी नियम प्रभावी नहीं होते तब तक छात्रों से शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्क संबंधित विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिनों के अनुरूप लिये जाएँगे।
5. पाठ्यक्रम संबंधी पाठ्यचर्या क्रियाकलाप, मध्य प्रायोगिक कार्य/गतिविधियों सहित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानकों और मानदंडों के अनुसार होना चाहिए तथा संबंधित विश्वविद्यालय/परीक्षा निकाय की आवश्यकताओं के अनुरूप भी आयोजित होने चाहिए।
6. पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण दिनों में अभ्यास शिक्षण दिवस के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानकों में निर्धारित दिवसों की संख्या से कम नहीं होगी।
7. संस्था यदि गैरअनुदानित है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों के अनुसार अक्षय निधि और सुरक्षित निधि बनाए रखेगी।